जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी०सी०ए० केश नं०–17/2024–25

सरकार

बनाम्

बुलेट उर्फ नाजिम अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–428/डी०सी०बी० दिनांक–20.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने देवडांड़ थाना के अपराधकर्मी बुल्लेट उर्फ नाजिन अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे०–मुन्ना अंसारी, सा० –बॉंझी, थाना–देवडांड़, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी बुल्लेट उर्फ नाजिन अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे०–मुन्ना अंसारी, सा० –बॉंझी, थाना–देवडांड़, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता है।

आगे प्रतिवेदन है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्दे नजर अपराधकर्मी के बाहर रहने से देवडांड चुनाव से संबंधित शांति व्यवस्था के साथ–साथ कई थानाक्षेत्र जैसे पोड़ैयाहाट, सुन्दरपहाड़ी, दुमका जिला के रामगढ़ थाना एवं गोड्डा नगर के साथ–साथ गोड्डा (मु०) थानाक्षेत्र में लोक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके थानाक्षेत्र में रहने से ग्रामिणों में भय का माहौल बना हुआ है। जिस आधार पर देवडांड़ थाना दैनिकी सं०–17/24 दर्ज किया गया है। दिनांक–17.10.2024 को थाना प्रभारी के द्वारा चुनाव को मद्देनजर थाना क्षेत्र में आसूचना संकलन के समय सूचना प्राप्त हुआ कि अभियुक्त 1. सलमान अंसारी, पे०–मुन्ना अंसारी, सा०–बॉंझी, थाना–देवडांड़ एवं उसका सहोदर भाई अभियुक्त बुलेट उर्फ नाजिन, पे०–मुन्ना अंसारी, सा०–बॉंझी, थाना–गोड्डा दोनों मिलकर गवाहों/

ग्रामिणों का डराने–धमकाने का काम कर रहे, जिससे देवडांड़ थानाक्षेत्र में दहशत का माहौल है।

उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से अनेकों प्रकार के घटनाओं को अंजाम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये अपराधी के तीन भाई और है जो सभी के सभी चोरी/डकैती/लूट जैसे कांडों में संलिप्त है। इनके डर से कोई थाना में सूचना देने का साहस नहीं करता है। ग्रामीणों में भय का खौफ व्याप्त है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतएव आम लोगों पर भयाक्रांत खौफ, दहशत के साथ–साथ लोक व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक निम्नलिखित है, जो इनके आसामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज काण्डों की वर्तमान स्थिति माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित किया गया है। इन्हे झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी किया जाना अति आवश्यक है।

आपराधिक इतिहास :–

1. गोड्डा मु0 थाना कांड सं0–66/22 दिनांक–12.04.2024 धारा–356/382 भा0द0वि0।
2. देवडांड़ थाना काण्ड सं0–14/22, दिनांक–15.06.2022 धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 11 पशुओं के प्रति कुरता निवारण अधिनियम 1960।
3. पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–14/22, दिनांक–30.01.22 धारा–414/34 भा0द0वि0।
4. पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–44/21, दिनांक–23.03.21 धारा–394 भा0द0वि0।
5. देवडांड़ थाना काण्ड सं0–15/20, दिनांक–19.03.20 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्टं।
6. देवडांड़ थाना काण्ड सं0–14/20, दिनांक–16.03.20 धारा–395 भा0द0वि0।
7. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–167/18, दिनांक–25.09.18 धारा–25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्टं।
8. पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–156/18, दिनांक–28.08.18 धारा–392 भा0द0वि0।

9. पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–137/18, दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0।
10. पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–136/18, दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0।
11. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–95/13 दिनांक–25.06.13 धारा–395 भा0द0वि0
12. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–106/13 दिनांक–18.07.13 धारा–395 भा0द0वि0
13. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–380/13 दिनांक–01.08.13 धारा–25 (1–बी)ए/26(ii)/35 आर्म्स एक्ट।
14. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–282/14 दिनांक–24.07.14 धारा–392 भा0द0वि0
15. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–379/13 दिनांक–01.08.13 धारा–399/402/414 भा0द0वि0
16. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–359/13 दिनांक–19.07.13 धारा–394 भा0द0वि0
17. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–368/13 दिनांक–25.07.13 धारा–395 भा0द0वि0
18. देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–52/13 दिनांक–25.02.13 धारा–393/326/307 भा0द0वि0
19. रामगढ़ (हँसडीहा) थाना काण्ड सं0–36/13 दिनांक–11.03.13 धारा–395 भा0द0वि0
20. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–28/13 दिनांक–25.02.13 धारा–392 भा0द0वि0

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने असमाजिक तत्व बुल्लेट उर्फ नाजीम अंसारी, उम्र–30 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडांड़, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी की कार्रवाई करते हुए संबंधित आदेश पारित करने के लिए अनुशंसा किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी ने अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि विपक्षी के जितने भी केश का उल्लेख है, सभी पुराना एवं सह अभियुक्त के व्यान पर नाम आया है। विपक्षी कानून प्रिय

व्यक्ति है तथा हमेशा कानून का सम्मान करता है। इसलिए विपक्षी को आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध गोड्डा मु0 थाना कांड सं0–66/22 दिनांक–12.04.2024 धारा–356/382 भा0द0वि0, देवडांड़ थाना काण्ड सं0–14/22, दिनांक–15.06.2022 धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 11 पशुओं के प्रति कुरता निवारण अधिनियम 1960, पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–14/22, दिनांक–30.01.22 धारा–414/34 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–44/21, दिनांक–23.03.21 धारा–394 भा0द0वि0, देवडांड़ थाना काण्ड सं0–15/20, दिनांक–19.03.20 धारा–25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्टं, देवडांड़ थाना काण्ड सं0–14/20, दिनांक –16.03.20 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–167/18, दिनांक–25.09.18 धारा–25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्टं, पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–156/18, दिनांक–28.08.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–137/18, दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना कांड सं0–136/18, दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–95/13 दिनांक–25.06.13 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–106/13 दिनांक–18.07.13 धारा–395 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–380/13 दिनांक–01.08.13 धारा–25 (1–बी)ए/26(ii)/35 आर्म्स एक्ट, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0 –282/14 दिनांक–24.07.14 धारा–392 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–379/13 दिनांक–01.08.13 धारा–399 /402/414 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–359/13 दिनांक–19.07.13 धारा–394 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–368/13 दिनांक–25.07.13 धारा–395 भा0द0वि0, देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–52/13 दिनांक–25.02.13 धारा–393/326/307 भा0द0वि0, रामगढ़ (हँसडीहा) थाना काण्ड सं0–36/13 दिनांक –11.03.13 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–28/13 दिनांक–25.02.13 धारा–392 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास से विपक्षी के असमाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इसलिए लोक शांति के लिए विपक्षी को थाना हाजिरी करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत बुल्लेट उर्फ नाजीम अंसारी, उम्र–30 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडांड़, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री रोहित कुमार यादव, थाना प्रभारी, देवडाँड़, मो0 नं0–9431134784 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, देवडांड़ को आदेश दिया जाता है कि वे बुल्लेट उर्फ नाजीम अंसारी का प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, देवडांड़ को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे। 181 / 01/11/24

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा। 30/10/24

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा। 30/10/24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:39:36 +05:30
Location: 192.168.1.9